

अन्वीक्षण

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख 941 का नियम 26)

तारीख 26/02/13 से 24/04/13 तक

आदेश पत्रक:

RTPS APPLICATION NO. 0346 Date 26.02.13

जिला - पटना

केश का प्रकार:- दाखिल खारीज

दाखिल खारीज बाद सं० 45/2013-2014

हल्का सं० 06

तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

6/02/13

श्री/श्री मती राध बिहारी शर्मा

पिता/पति ब्रह्मदेव शर्मा

ग्राम सोनाह

पो० फतुहां

थाना फतुहां जिला पटना केवाला सं० 3367 दिनांक 06.04.92

/आपसी बंटवारा के आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है

मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकबा	लगान
सोनाह	30	204	नं० 36	12 चुर 02 चुर	0.25

मूल आवेदन पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दें। अभिलेख दिनांक 09/03/13 को उपास्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित

अंचलाधिकारी
फतुहां।

अंचलधिकारी
फतुहां।

9/03/13

5/03/13

अभिलेख उपस्थापित है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी विक्रेता के नाम से नहीं मिलती है अतः आवेदक / आवेदिका से जमाबंदी से संबंधित साक्ष्य की मांग करें। अभिलेख दिनांक 16/4/13 को उपास्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित।

अंचलाधिकारी
फतुहां।

अंचलाधिकारी
फतुहां।

24/04/13

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां
आदेश

पृ० संख्या:-02

दाखिल खारीज बाद सं० 45 / 2012-2013

हल्का सं० 06

तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर
की गई
कार्रवाई के
बारे में
टिप्पणी
तारीख
सहित

104/13
1704/13
अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है। आवेदक/आवेदिका
उपस्थित/अनुपस्थित। आवेदक /आवेदिका के स्तर से उपरोक्त नोटिस के माध्यम से
मांगी गई वांछित साक्ष्य आज तक अप्राप्त है, चूंकि हल्का कर्मचारी/अं०नि० के द्वारा
प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन कि जमाबंदी विकेता/दानकर्ता/पावरदाता के
नाम से पंजी-II में नहीं मिलती है। उक्त वांछित साक्ष्य के बगैर दा०खा० स्वीकृत
करना संभव प्रतीत नहीं होता है, अतः ऐसी परस्थिति में उपरोक्त वांछित साक्ष्य के
अभाव में आवेदक /आवेदिका के आवेदन कोरिजेक्ट किया जाता
है। आवेदक /आवेदिका अगर चाहें तो अपने हक/हिस्से को प्राप्त करने के लिए
सक्षम न्यायालय में जा सकते है

लेखापित एवं संशोधित।

↓
अंचलाधिकारी
फतुहां।

↓
अंचलाधिकारी
फतुहां।